उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

हरी बनाम जगदीश वगैरा

मुकदमा दावा नं० 62 सन् 2015

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

22.6.2015 यह दावा वादी हरी पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी की ओर से श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया। वादी के वकील को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिए नोटिस की जावे। पत्रावली दिनांक 1.7.2015 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

1.7.15 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी~~/~~अपीलार्थी/रेस्पान्डेन्ट/प्रार्थी~~/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/~~अनुपस्थित~~ है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर/अवकाश पर हैं~~/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/~~स्थानान्तरण हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3.7.15 को पेश हो।

रीडर

3-7-15 पत्रावली आज लोक अदालत शिविर चूली मे पेश हुई। वादी हरी, प्रतिवादी नं० 1 ता 6 उप० है। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि उन्होने आपसी सहमति से भूमि का विभाजन तहसीलदार जी के यहां करा लिया है। वादी अपना दावा नहीं चलाना चाहता है। दावा वापस लेने की अनुमति दी जावे।

प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी को प्रस्तुत दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सतीश कुमार शर्मा)
एड०
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
एवं

हरी
जगदीश
जगमोहन
मुरारी
गोविन्द
जोगीराज
[illegible]

3

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/~~केम्प कोर्ट~~) चूली

सीन अधिकारी :– मुनिदेव यादव, R.A.S.

उनवान
.... बनाम पृष्ठ भाग पर अंकित है।

बाबत विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा

दना नम्बर :– 62/2015

य दिनांक :– 3-7-2015

वादी की ओर से वादी हरी की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादीगण जगदीश
पस्थिति में इस वाद में आज तारीख 3-7-2015 को मुनिदेव यादव R.A.S. (नाम पीठासीन अधिकारी)......
mi[k.M vf/kdkjh] --------- के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया
है और डिक्री दी जाती है कि –

पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार प्रस्तुत दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 3-7-2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

(मुनिदेव यादव)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
द पत्र के लिए स्टाम्प क्ति पत्र के लिए स्टाम्प दर्शों के लिए स्टाम्प _____ रुपये पर प्लीडर की फीस क्षियों के लिए निर्वाह–व्यय मिश्नर की फीस देशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

उनवान

हरी पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर निवासी चूली
तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर --वादी

बनाम

1· जगदीश पुत्र रामनारायण
२· मुरारी पुत्र चिरंजी
3· जगमोहन पुत्र चिरंजी
4· गोविन्दा पुत्र चिरंजी
5· गौरीशंकर पुत्र चिरंजी
6· सरूपी बेवा चिरंजी

जाति गुर्जर
निवासी चूली
तहसील गंगापुर सिटी

7· मैनेजर, S·B·B·J· शाखा औद्योगिक क्षेत्र सालोदा
8· सरकार जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी --प्रतिवादीगण

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

21

प्रपत्र-4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- चूली

राजीनामा प्रपत्र

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, दिनांक 3/7/15

कैम्प - चूली

हरी बनाम जगदीश वगै०

प्रकरण संख्या :- 62/15 अन्तर्गत धारा 53, 188 R.T. Act

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी / वादी श्री हरी
निवेदन है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।
हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-
हरप्रसाद व प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि ख.नं. 10
063, 1074, 1074/2116, 1075 लगा० 1077, 1414, 1481, 1482, 17
8, 1772 ग्राम- चूली तह० गंगापुर सिटी की भूमि का [illegible]
तहसीलदार जी के यहाँ कर रखा है अलग-अलग [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] कायम [illegible] [illegible] हो जावे। [illegible]
[illegible]
अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

पक्ष 1. हरी
2.
3.
4.

प्रतिवादी पक्ष 1. जगदीश
2. मुरारी
3. गंगामो
4. गोती [illegible]
गोवीकांत

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
(प्रार्थी पक्ष) नाम

प्रधानाचार्य
राजकीय [illegible] विद्यालय
चूली, [illegible] गंगापुर सिटी (स०मा०)

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
(प्रतिवादी पक्ष) नाम

सरपंच
ग्राम पंचायत [illegible]
पं० स० गंगापुर सिटी

प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय [illegible] गंगापुर सिटी

प्रार्थी / वादी हरी एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी जगदीश, मुरारी, गंगामो, गोविन्द, गोपीकांत, [illegible]
द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

(सतीश कुमार शर्मा)
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)
पीठासीन अधिकारी
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी